समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

✆ : 2529540-2527532
✉ : rgistrar.davv@mp.gov.in
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731-2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452001

कमांकः सं.वि.क./**एन.टी.एफ.**/2025–26/623 दिनांक : 6 MAR 2026

प्रति,
विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी,
समस्त अध्ययनशाला,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर,
खंडवा रोड, इंदौर।

विषय :– छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम हेतु विद्यार्थियों की कांउसलिंग कराये जाने के संबंध विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये विशेषज्ञ (कांउसलर) से संपर्क कर काउंसिलिंग संबंधी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने बाबत।

महोदय/महोदया,

विदित हो कि, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन एवं आत्महत्या रोकथाम हेतु **उच्च शिक्षा संस्थानों में काउंसलिंग सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य है।** 100 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों में योग्य काउंसलर/मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति/व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने संबंधी निर्देश है।

निर्देशानुसार, विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी, **अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग (DSW)** के माध्यम से **विशेषज्ञ काउंसलर की व्यवस्था** के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में सूचित कर अवगत कराया है।

अतः आप इस संबंध में **विशेषज्ञ काउंसलर डॉ. निवृति मिश्रा से मोबाईल क्रमांक 9179031400 पर संपर्क कर,** यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित प्रति लेक्चर भुगतान आधार पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की सामूहिक **त्रैमासिक व आवश्यक्तानुसार व्यक्तिगत कांउसिलिंग सत्र का आयोजन** व TELE MANAS हेल्पलाइन एवं अन्य सुविधाओं का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कर, नोडल अधिकारी, **अधिष्ठाता, छात्र कल्याण** से समन्वय स्थापित करें।

इस संबंध में कृत कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन 10 दिनों के भीतर **(प्रति सत्र)** अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

संलग्न :– विषयांतर्गत जारी दिशा–निर्देश।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–
पृ. क्रः सं.वि.क./**एन.टी.एफ.**/2025–26/623 दिनांक : 6 MAR 2026
1. माननीय कुलगुरू/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
नोडल अधिकारी

"मानसिक स्वास्थ्य एवं छात्र कल्याण हेतु त्रैमासिक कैलेंडर-2026"
(फरवरी–मार्च–अप्रैल)

---

(1)

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
राष्ट्रीय कार्यबल (NTF) – मानसिक स्वास्थ्य एवं छात्र कल्याण हेतु पहल
फरवरी 2026

प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह	चतुर्थ सप्ताह
100 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों में कम से कम एक योग्य काउंसलर की पहचान Tele-MANAS सहित हेल्पलाइन नंबर का परिसर में प्रमुख प्रदर्शन उत्पीड़न एवं रैगिंग पर शून्य सहनशीलता नीति का प्रचार-प्रसार 25-40 विद्यार्थियों के लिए एक Guardian Tutor नामित किया जाना। **नोट :ब्रांड एंबेसडर:** छात्रों के लिए प्रेरणास्पद एवं आदर्श व्यक्तित्व। 1.श्री मनोज कुमार शर्मा (IPS, मुरैना – "12th Fail") 2.श्री कपिल परमार (पैरा-जूडो पदक विजेता) 3.सुश्री प्राची यादव (पैरा-कैनो, ग्वालियर) 4.सुश्री अरुणिमा सिन्हा (एवरेस्ट विजेता) 5.श्रीमती अंकिता गोस्वामी (सहायक निदेशक, श्रम विभाग)	• योग, ध्यान एवं प्राणायाम सत्र • अभिभावकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम • तनाव प्रबंधन कार्यशाला • माइंडफुलनेस अभ्यास (कक्षा/सेमिनार पूर्व) • "मैं अकेला नहीं हूँ" समूह चर्चा- विद्यार्थियों द्वारा	• Cell गठित किया जाना • आर्ट / म्यूज़िक / कविता/ सकारात्मक Slogan गतिविधियों का आयोजन • पीयर सपोर्ट ग्रुप का गठन एवं मीटिंग- PSL को नामित करना • काउंसलिंग डेस्क / सहायता बूथ की स्थापना • "बात करें – बोझ हल्का करें" अभियान	• आत्महत्या रोकथाम पर विशेषज्ञ व्याख्यान • चेतावनी संकेतों की पहचान पर कार्यशाला • जीवन कौशल एवं आशा निर्माण सत्र • गतिविधियों की समीक्षा व फीडबैक संग्रह • किसी एक Brand Ambesador को आमंत्रित कर विशेष सत्र का आयोजन

दिनांक 15.01.2026 के निर्णय के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु समस्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए फरवरी माह में किए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों के लिए कैलेंडर

प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा समितियों का गठन :-	समितियाँ गठित कर सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाना
1. Equal Opportunity Cell (EOC) 2. Internal Complaints Committee (ICC) 3. Anti-Ragging Committee 4. Student Grievance Redressal Cell	

HEIs द्वारा की जाने वाली गतिविधि	अनुपालन
UGC द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर सभी हितधारक 12.02.2026 तक अपनी अभिनत/सुझाव UGC की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार sstearh.ugc@nic.in पर प्रेषित करें।	अभिनत/सुझाव प्राप्त कर डॉ. सुनीता सिवाच, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को sstearh.ugc@nic.in को प्रेषित करे।
महाविद्यालय द्वारा छात्र आत्महत्या/मानसिक संकट/अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में त्वरित कार्यवाही हेतु: 1. Mental Health SOP 2. Emergency Response SOP जारी किया जाना ।	बिंदु क्र.1 एवं 2 हेतु SOP तैयार कर अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित किया जाना
महाविद्यालय द्वारा Tele-MANAS,निकटतम चिकित्सालय से औपचारिक समन्वय स्थापित किया जाए।	समन्वय स्थापित करने हेतु पत्राचार
1. आवासीय महाविद्यालयों में 24×7 चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 2. एक किमी के भीतर चिकित्सा संस्थान से MoU किया जाए। 3. Sick room की व्यवस्था 4. First Aid की व्यवस्था	चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना
महाविद्यालय द्वारा छात्र आत्महत्या एवं अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित केंद्रीकृत डेटा संधारण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाए।	नोडल अधिकारी नामित कर अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित किया जाना
महाविद्यालय द्वारा किसी भी छात्र की आत्महत्या अथवा अप्राकृतिक मृत्यु की तत्काल पुलिस सूचना हेतु अनिवार्य रिपोर्टिंग SOP लागू की जाए।	Mandatory Reporting SOP तैयार कर अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित किया जाना
महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक, अशैक्षणिक एवं नेतृत्व पदों की रिक्तियों की पहचान कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसमें PwD पदों को प्राथमिकता दी जाए।	गणना कर रिक्त स्थानों की पूर्ति की व्यवस्था हेतु पत्राचार किया जाना
महाविद्यालय द्वारा सभी लंबित छात्रवृत्ति मामलों की समीक्षा कर निपटान प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।	छात्रवृति समीक्षा कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाना

नोट :-

- **फ़रवरी 2026 में चिन्हित कार्यों का क्रियान्वयन कर कृत कार्यवाही रिपोर्ट अग्रणी महाविद्यालय को दिनांक 1 मार्च 2026 तक अनिवार्यत: भेजा जाना सुनिश्चित करे।**
- **अग्रणी महाविद्यालय सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय की जानकारी एकजाई कर 5 मार्च 2026 तक spdntf@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे।**

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
राष्ट्रीय कार्यबल (NTF) – मानसिक स्वास्थ्य एवं छात्र कल्याण हेतु पहल
मार्च-2026

प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह	चतुर्थ सप्ताह
स्टाफ हेतु मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण- Psychological First Aid कमजोर एवं संवेदनशील वर्गों के छात्रों हेतु विशेष सहायता एवं परामर्श गतिविधियाँ खेल, कला, योग, ध्यान एवं व्यक्तित्व विकास से संबंधित सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन सुरक्षित, नशामुक्त एवं परामर्श-सक्षम छात्रावास एवं महाविद्यालय वातावरण सुनिश्चित करना विभिन्न समूहों द्वारा रोल प्ले तैयार कर प्रदर्शन का आयोजन	• रचनात्मक पोस्टर और कैंपस अभियान • आत्म-देखभाल चुनौती सप्ताह (Self-Care Challenge) • मानसिक शांति के लिए लघु कहानी लेखन • रचनात्मक पोस्टर और कैंपस अभियान • महिला दिवस के विशेष अवसर पर छात्राओ के लिए Selfdefence Camp • ध्यान का विशेष सत्र • विद्यार्थियों के लिए किसी प्रेरणास्पद फिल्म (Movie) का Screening	• सकारात्मक सोच के लिए माइंड मैपिंग • तनाव प्रबंधन के लिए मिनी रोल-प्ले / नाटक • समय प्रबंधन और अध्ययन-जीवन संतुलन • तनाव मुक्त करने वाले खेल (Stress-Busting Games) • Disaster Management सत्र • SDG -3 पर आधारित गतिविधि	• सहपाठी सहायता समूह (Peer Support Group)द्वारा प्रस्तुती • मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता क्विज़ • प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण पर सत्र कार्यशाला • छात्र कल्याण का उत्सव (Celebration of Student Well-Being) • रचनात्मक अभिव्यक्ति: कविता और संगीत • परीक्षा के समय तनाव रहित कैसे रहा जाय –विशेष सत्र

दिनांक 15.01.2026 के निर्णय के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु समस्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए मार्च माह में किए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों के लिए कैलेंडर

HEIs द्वारा की जाने वाली गतिविधि	अनुपालन
हाविद्यालय द्वारा Well-Being Audit का संचालन कर मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों एवं धारात्मक बिंदुओं की पहचान की जाए।	ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित किया जाना

HEIs द्वारा की जाने वाली गतिविधि	अनुपालन
महाविद्यालय द्वारा फैकल्टी सदस्य एवं सभी अन्य कर्मचारियों के लिए जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया जाए| विषय : (a) Psychological First Aid (b)Identification of Warning Signs (c) Response to self-harm, and referral Mechanisms	प्रशिक्षण आयोजन हेतु निम्नानुसार जानकारी प्रेषित करे : सेमिनार की तिथि Brochure Speaker के नाम Photo Report
आवासीय महाविद्यालयों द्वारा छात्रावासों में : Hostel Committee Hostel staff की सूची Hostel के नियम सुरक्षा की व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था	सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित कर अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित करे |
महाविद्यालय द्वारा अधिकांश लंबित छात्रवृत्तियों का निपटान किया जाए एवं विलंब के कारणों की सूचना दी जाए।	छात्रवृत्ति की वर्तमान स्थिति |

नोट :-

- **मार्च 2026 में चिन्हित कार्यो का क्रियान्वयन कर कृत कार्यवाही रिपोर्ट अग्रणी महाविद्यालय को दिनांक 1 अप्रैल 2026 तक अनिवार्यत: भेजा जाना सुनिश्चित करे \|**
- **अग्रणी महाविद्यालय सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय की जानकारी एकजाई कर 5 अप्रैल 2026 तक spdntf@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे \|**

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
राष्ट्रीय कार्यबल (NTF) – मानसिक स्वास्थ्य एवं छात्र कल्याण हेतु पहल
अप्रैल-2026

प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह	चतुर्थ सप्ताह
आत्महत्या रोकथाम हेतु चेतावनी संकेतों पहचान पर कार्यशाला छात्रों एवं अभिभावकों हेतु करियर उंसलिंग एवं मार्गदर्शन सत्र हेल्दी हैबिट्स चैलेंज ABHA Card का निर्माण	• पीयर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग • अनुभव साझा करना / रोल-प्ले • साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैंप (मिनी गेम / टीम एक्टिविटी) • डिजिटल एसेट्स / मोबाइल ऐप्स से हेल्पलाइन	• पीयर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग • प्रेरक स्टोरी / केस स्टडी डिस्कशन • प्रेरक टॉक्स (Motivational Talks) • हेल्थ और न्यूट्रिशन सत्र • साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैंप	• प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला • छात्र कल्याण का उत्सव (Celebration of Student Well-Being) • काउंसलिंग फीडबैक जरूरतमंद छात्रों की फॉलो-अप सूची • मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करना एवं spdntf@gmail.comको प्रेषित करना

दिनांक 15.01.2026 के निर्णय के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु समस्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए फरवरी माह में किए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों के लिए कैलेंडर

HEIs द्वारा की जाने वाली गतिविधि	अनुपालन
महाविद्यालय द्वारा छात्र आत्महत्या/अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन UGC/AICTE/NMC को प्रस्तुत किया जाए।	• वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत • 10 अप्रैल तक अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे एवं अग्रणी महाविद्यालय spdnt@gmail.com पर 15 अप्रैल तक प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

HEIs द्वारा की जाने वाली गतिविधि	अनुपालन
महाविद्यालय द्वारा सभी लंबित छात्रवृत्तियों का पूर्ण निपटान सुनिश्चित किया जाए।	पूर्ण निपटान
महाविद्यालय द्वारा Anti-Ragging, ICC, EOC आदि की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर Zero Tolerance नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।	समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार कर अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे
महाविद्यालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के अनुपालन में समेकित अनुपालन प्रतिवेदन NTF/राज्य शासन/UGC को प्रस्तुत किया जाए।	Final Compliance Report

नोट :-

- **अप्रैल 2026 में चिन्हित कार्यो का क्रियान्वयन कर कृत कार्यवाही रिपोर्ट अग्रणी महाविद्यालय को दिनांक 1 मई 2026 तक अनिवार्यत: भेजा जाना सुनिश्चित करें।**
- **अग्रणी महाविद्यालय सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय की जानकारी एकजाई कर 5 मई 2026 तक spdntf@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे।**